



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238810
CG-DL-E-14092022-238810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 617]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (डडक) के साथ पठित धारा 285ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 121क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“121क चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं या विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित विवरण का प्ररूप :-

(1) चलचित्र फिल्मों का निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति या विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्ति, या दोनों, द्वारा धारा 285 ख के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला अपेक्षित विवरण प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए प्ररूप 52क में होगा।

(2) प्ररूप सं. 52क, पूर्ववर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) धारा 285ख के प्रयोजन हेतु, विहित प्राधिकारी, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति होगा।”

(4) प्ररूप सं. 52क, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आय-कर विवरणी डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने की दशा में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), -

(क) प्ररूप सं. 52क प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक विहित करेगा;

(ख) प्ररूप सं. 52क प्रस्तुत और सत्यापन करने के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगा; और

(ग) प्ररूप संख्यांक 52क के संबंध में अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां, समुचित सुरक्षा विरचना करने और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या यथास्थिति, आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, प्ररूप सं. 52क निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

टिप्पण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप” का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 285ख के टिप्पण में है।”

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट-2 में, प्ररूप सं. 52क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्यांक 52क

(नियम 121क देखें)

चलचित्र निर्माण करने वाले किसिक व्यक्ति या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति या दोनों, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285ख के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

किसी चलचित्र फिल्म के निर्माता/विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	
	प्रास्थिति	
	आवासीय प्रास्थिति	
	स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक (यदि लागू हों)	
	कर कटौती खाता संख्यांक	
	कर संग्रहण खाता संख्यांक	
	पता	
सुसंगत पूर्ववर्ष जिसके लिए विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है		
पूर्व वर्ष के दौरान निर्मित	निर्मित चलचित्र फिल्में	
चलचित्र फिल्मों/किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों की संख्या	किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप	
भाग क – पूर्व वर्ष के दौरान, निर्मित प्रत्येक चलचित्र या किए गए विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के ब्यौरे (पूर्व वर्ष के दौरान बहु चलचित्र फिल्मों के निर्माण या बहु विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे होने की दशा में, भाग क और भाग ख में, पृथक रूप से प्रत्येक फिल्म/विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के ब्यौरे उपलब्ध करें।)		

फिल्म का नाम या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप										
फिल्म की प्रकृति*	सेल्युलाइड फिल्म सेल्युलाइड फिल्म से भिन्न									
विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप की प्रकृति *	आयोजन प्रबंध खेल आयोजन प्रबंध वृत्तचित्र निर्माण टेलीविजन पर या अन्य उत्कृष्ट प्लेटफार्म या किसी अन्य उसी प्रकार के प्लेटफार्म पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण अन्य प्रदर्शन कला कोई अन्य अधिसूचित क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									
चलचित्र फिल्म निर्माण के प्रारंभ या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के प्रारंभ की तारीख **										
क्या चलचित्र फिल्म या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप पूर्ववर्ष में पूरा हो गया था	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>									
यदि हां, चलचित्र फिल्म निर्माण या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के पूरा होने की तारीख**										
भाग ख : चलचित्र निर्माण या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्ति या चलचित्र फिल्म निर्माण या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को उससे शोध्य देय के कुल 50 हजार रुपये से अधिक के संदाय के ब्यौरे										
क्रम सं.	नाम	पता	पैन या आधार सं. (यदि लागू हो)	फिल्म का नाम या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप जिससे संदाय संबंधित है	संदत्त / देय रकम (रुपये में)				यदि स्रोत पर कर कटौती की गई है, तो उपलब्ध करें :	
					नकद में संदत्त	नकद से भिन्न संदत्त	देय रकम	कुल	कर कटौती की रकम (रुपये में)	धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा गया है/ कटौती योग्य

*ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जाए

**दद/मम/वव प्रारूप में

***भाग क से ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जाए ["फिल्म का नाम या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप"]

सत्यापन

मैं....., यह घोषणा करता हूं कि जो भी उपरोक्त कथन किया गया है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य है। आज, तारीख को सत्यापित .

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर."

[अधिसूचना सं. 109 / 2022 / फा. सं. 370142/44/2022-टीपीएल]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 677(अ), तारीख 1.9.2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by section 285B read with clause (mma) of sub-section (2) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (30th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 121A, the following rule shall be substituted, namely:-

“121A. Form of statement to be furnished by producers of cinematograph films or persons engaged in specified activity.-

(1) The statement required to be furnished under section 285B by a person carrying on production of cinematograph film or engaged in specified activity, or both, shall be in Form No. 52A for each previous year.

(2) Form No. 52A shall be furnished within sixty days from the end of the previous year.

(3) For the purpose of section 285B, the prescribed authority shall be the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

(4) Form No. 52A, shall be furnished electronically,—

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature;

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i).

(5) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall,—

(a) specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of Form No. 52A;

(b) be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing and verification of Form No. 52A; and

(c) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to Form No. 52A.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, or any person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall forward Form No. 52A to the Assessing Officer.

Explanation: For the purposes of this rule, "specified activity" shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to section 285B of the Act.”

3. In the principal rules, in Appendix II, for Form No. 52A, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM NO. 52A**[See rule 121A]**

Statement to be furnished under section 285B of the Income-tax Act, 1961 by a person carrying on production of a cinematograph film or engaged in specified activity or both

Details of the producer of a cinematograph film / person engaged in specified activity	Name	
	Status	
	Residential status	
	Permanent Account	

		Number or Aadhaar number (if applicable)								
		Tax Deduction Account Number								
		Tax Collection Account Number								
		Address								
Relevant previous year for which the statement is being furnished										
Number of cinematograph films / specified activity undertaken during the previous year	Cinematograph films produced									
	Specified activity undertaken									
PART-A: Details of each cinematograph film produced or specified activity undertaken during the previous year (In case of production of multiple cinematograph films or engagement in multiple specified activities during the year, provide details in Part-A and Part-B for each film/specified activity separately):										
Name of the film or specified activity										
Nature of the film*	Celluloid film									
	Other than celluloid film									
Nature of specified activity*	Event management									
	Sports event management									
	Documentary production									
	Production of programmes for telecasting on television or over the top platforms or any other similar platform									
	Other performing arts									
	Any other notified activity (please specify)									
Date of starting of production of cinematograph film or commencement of specified activity**										
Whether the cinematograph film or specified activity was completed in the previous year		Yes <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>						
If yes, date of completion of production of cinematograph film or specified activity**										
PART-B: Details of payments of over Rs. 50,000 in the aggregate made by the person carrying on production of cinematograph film or engaged in specified activity, or due from him to each person engaged in the production of the cinematograph film or specified activity:										
S. No.	Name	Address	PAN or Aadhaar number (if applicable)	Name of the film or specified activity to which the payment relates***	Amount paid/due(in Rs.)				If tax deducted at source, then provide:	
					Paid in cash	Paid other than cash	Amount due	Total	Amount of tax deducted (in Rs.)	Section under which TDS is deducted/deductible

*dropdown to be provided

**in dd/mm/yyyy format

***dropdown to be provided from Part-A ["Name of the film or specified activity"]

Verification

I, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.
Verified today, the day of.....

Place:

Date:

Signature of the Authorised Signatory.”

[Notification No. 109/2022/F. No. 370142/ 44/2022-TPL]

MRINALINI KAUR SAPRA, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 677(E) dated 1.9.2022.